हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
13/3/21	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 12-11-21 को पत्र पेश।
12/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट गुढादेवजी में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस संलग्न है। तहसीलदार नैनवां से मौका रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है। जवाब अप्रार्थीगण पेश नही हुआ है। जवाब बन्द किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17/6/2020 को गुढादेवजी के आराजी खसरा सं. 1092/8-00, 1770/1092/6-18 पर खातेदार विनोद पि० मु० रामकरण कुमार एवं उपस्थित ग्रामीणों की मौजूदगी में गैर मुस्तकिल मुकाम ख.सं. 966 गै.मु. चाह रकबा 6 बिस्वा व ख.सं. 1085 गै.मु. चाह रकबा 9 बिस्वा से जरीब चलाकर दोनो खसरा नम्बर 1092 व 1770/1092 का सीमाज्ञान किया गया व खसरा नम्बरान की चतुर्थ सीमाओं के बारे मे बताया, तथा मौके पर चतुर्थ सीमाओं के निशानात करवाये गए। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। चतुर्सीमाओं का निशानात किये जाने बाबत रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अब इस प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रही है अतः प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। निर्णय सुनाया गया [illegible] पत्रावली नम्बर से काम की [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:25:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner